



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

44-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 31, 2020 (CHAITRA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2020

संख्या 15/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंधन, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक नीचे यथा उल्लिखित निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रजिस्ट्रीकरण.- व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) करवाने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्ति की गई है, वहां वह आई आर पी/आर पी के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि से, इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण करवाएगा।

3. विवरणी.- व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तिथि से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है, से उस तिथि, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40 के अधीन पहली विवरणी दायर करेगा।

4. इनपुट कर प्रत्यय.- (1) व्यक्तियों का उक्त वर्ग, अपनी प्रथम विवरणी में, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) तथा हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, उक्त अधिनियम के अध्याय V तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अध्वधीन, आईआरपी/आरपी के रूप में उसकी नियुक्ति से प्राप्त, किन्तु भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को शामिल करने वाले बीजकों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो व्यक्तियों के उक्त वर्ग से प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं, इस अधिसूचना के अधीन यथा अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तिथि या इस अधिसूचना की तिथि से तीस दिन तक, जो भी पहले हो, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की उस अवधि के लिए, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, उक्त अधिनियम के अध्याय V तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अधधीन, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का माल और सेवा कर पहचान संख्या उपयोग करते हुए जारी किये गये बीजकों पर इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने के लिए पात्र होंगे।

5. इस अधिसूचना के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की तिथि तक आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तिथि से विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में जमा कोई राशि भूतपूर्व रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक", "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वही अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31) में उन्हें दिया गया है।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2020

No. 15/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act 31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. **Registration.**— The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. **Return.**— The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.

4. **Input tax credit.**— (1) The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Haryana Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

(2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.

5. Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms “corporate debtor”, “corporate insolvency resolution professional”, “interim resolution professional” and “resolution professional” shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act 31 of 2016).

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.